कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
सोनभद्र – (उ0प्र0)

☎ 05446–252020 PIN Code: 231217 Email: dforkt@yahoo.co.in

पत्रांक– 170 / रेनुकूट / 15 –27 दिनांक, रेनुकूट, 30-11-,2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र के रेनुकूट वन प्रभाग अन्तर्गत रेनुसागर से हिण्डालको संस्थान तक 132 के0वी0 विद्युत ट्रान्समिशन लाइन के निर्माण हेतु मेसर्स हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 को 25 वर्षो हेतु (दिनांक– 15.10.1996 से 14.10.2021 तक) लीज पर हस्तान्तरित 52.9666 है0 वन भूमि के लीज को आगामी 25 वर्षो हेतु (दिनांक– 15.10.2021 से 14.10.2046 तक) नवीनीकरण किये जाने के संबंध में प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UP/TRANS/41830/2019

संदर्भः– मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 1035 / 11–सी– FP/UP/TRANS/41830/2019 लखनऊ दिनांक–24.09.2021

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के संदर्भित पत्र दिनांक– 24.09.2021 द्वारा इंगित की गयी कमियों का निराकरण कराते हुए आख्या निम्नानुसार संस्तुति सहित अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0सं0	मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक– 1035 / 11–सी– FP/UP/TRANS/41830/2019 लखनऊ दिनांक–24.09.2021 में अंकित बिन्दु	प्रभाग की आख्या
1	2	3
1	प्रस्ताव में प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने(औषधीय) पौधो के वृक्षारोपण के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि पारेषण लाइन के नीचे पूर्व से प्राकृतिक एवं रोपित पौधे उपलब्ध है, जिसमें (औषधीय) पौधो का वनीकरण किया जाना नियमानुसार सम्भव नही है, किनतु प्रस्ताव में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र संलग्न नही किया गया है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि पारेषण लाइन के नीचे पूर्व से प्राकृतिक एवं रोपित पौधे उपलब्ध है जिसमें पुनः बौने(औषधीय) पौधो का वनीकरण किया जाना नियमानुसार संभव नही है । इस संबंध में प्रमाण–पत्र प्रस्ताव में **संलग्न कराते** हुए ऑन लाइन भाग–2 कें Additional Information Details में अपलोड करा दिया गया है ।
2	हार्डकापी भाग–2 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण से संबंधित विवरण का पुनः उल्लेख नही किया गया है तथा हार्डकापी भाग–2 भी अपूर्ण है । अतः पूर्ण हार्डकापी भाग–2 प्रस्ताव में संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रारूप में क्षतिपूरक वनीकरण से संबंधित विवरण भरने हेतु कोई कालम निर्धारित नही है इसके कारण हार्डकापी में क्षतिपूरक वनीकरण का विवरण नही भरा गया है । ऑनलाइन में क्षतिपूरक वनीकरण का विवरण भरने हेतु विकल्प दिया गया है जिसमें पूर्ण विवरण भरा गया है ।
3	हार्डकापी भाग–2 के District Profile के बिन्दु –8(iv) में विवरण पुनः अंकित नही किया गया है तथा ऑनलाइन भाग–2 व हार्डकापी भाग–2 में जिले का वन क्षेत्रफल भिन्न–भिन्न फीड किया गया है । अतः एक समान सही विवरण फीड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि नवीनीकरण प्रस्ताव से संबंधित District Profile बिन्दु –8(iv) के हार्डकापी भाग–2 में विवरण अंकित कराते हुए हार्डकापी भाग–2 एवं ऑनलाइन भाग–2 में

		जिले का क्षेत्रफल एवं जिले का वन क्षेत्रफल एक समान फीड करा दिया गया है ।
4	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–15 में मुख्य वन संरक्षक की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड नही की गयी है ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–15 में प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट का स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करने का विकल्प है तथा विकल्प के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड की गयी है ।
5	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक– 16 में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अपनी संस्तुति के स्थान पर Query का पत्र अपलोड किया गया है, जो कि गलत है । अतः इसे एन0आई0सी0 नई दिल्ली से डिलिट कराकर प्रभागीय वनाधिकारी की संस्तुति का पत्र यथास्थान अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–16 में त्रुटिपूर्ण अपलोड किये गये अभिलेखो को एन0आई0सी0 दिल्ली से डिलिट कराते हुए प्रभागीय वनाधिकारी रेनुकूट की संस्तुति पत्र अपलोड करा दिया गया है ।
6	ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक –16 में मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपनी संस्तुति के स्थान पर Query का पत्र अपलोड किया गया है, जो कि गलत है । अतः इसे एन0आई0सी0, नई दिल्ली से डिलिट कराकर मुख्य वन संरक्षक की संस्तुति का पत्र यथास्थान पर अपलोड करे ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–16 में त्रुटिपूर्ण अपलोड किये गये अभिलेखो को एन0आई0सी0 नई दिल्ली से डिलिट करा दिया गया है । संस्तुति पत्र मुख्य वन संरक्षक,मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के स्तर से अपलोड किया जाना है ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार प्रस्ताव की 3 प्रतियॉ मूल में ।

भवदीय

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या– अ/सम दिनांकित ।

प्रतिलिपिः श्री विवेक कुमार, हेड लीगल, मे0 हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लि0 रेनुकूट को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत प्रकरण में उच्च स्तर से सम्पर्क स्थापित करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

(मनमोहन मिश्र)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट